



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहम्मद हुसैन पिता अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शोकत अली पिता अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. इस्माईल पिता अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. अहमद नूर पिता अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जगरु दीन पिता अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. जुबेदा बेगम पत्नी अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. मुमताज बेगम पुत्री अमीरु दीन नीलगर मुसलमान निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।


प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत खातेदारी दिलाने बाबत**

प्रकरण संख्या 244/2009 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री इकबाल मोहम्मद डायर, राकेश सुराणा अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 12.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा